

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाईनेंशियल सर्विसेज इण्डिया लि. बनाम भेरूनारायण माथुर
प्रकरण संख्या 78/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप | विशेष विवरण |
|---------------------------|--|-------------|
| 19.02.2024 | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री यशवर्धन सिंह उपस्थित है। अप्राथी त्रणी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने फेश फाईल पेश करने की लिबर्टी के साथ धारा 14 के प्रार्थना पत्र को विद्गो किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है।</p> <p>उभय पक्ष के अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रा. पत्र को विद्गो किये जाने से प्रार्थी बैंक की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p><i>50</i> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p> | |